राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–84 / 2010

तारीख दायर :– 22.04.2010

अनवान

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

––वादी

बनाम

01. मनोहर पिता रतना मीणा निवासी आंटी (मृतक)
    1.1 मांगीलाल पुत्र मनोहर मीणा निवासी आंटी
    1.2 नारायणी पत्नि मनोहर मीणा निवासी आंटी
02. लूम्बा पिता रतना मीणा निवासी आंटी
03. विजयसिंह पिता सोहनसिंह जादू निवासी भीलवाड़ा।
04. तुलसीराम पिता तोलाराम उर्फ तुलसीराम कटारा निवासी बन्टीकड़ा (रागोला) तहसील दोबड़ा जिला डूंगरपुर
    4.1 लोकेश पिता तोलाराम उर्फ तुलसीराम कटारा निवासी बन्टीकड़ा रागोला तहसील दोबड़ा जिला डूंगरपुर
    4.2 जीवण पिता तोलाराम उर्फ तुलसीराम कटारा निवासी बन्टीकड़ा रागोला तहसील दोबड़ा जिला डूंगरपुर
    4.3 रोहित पिता तोलाराम उर्फ तुलसीराम कटारा निवासी बन्टीकड़ा रागोला तहसील दोबड़ा जिला डूंगरपुर
    4.4 सुनीता पिता तोलाराम उर्फ तुलसीराम कटारा निवासी बन्टीकड़ा रागोला तहसील दोबड़ा जिला डूंगरपुर
    4.5 रीता पिता तोलाराम उर्फ तुलसीराम कटारा निवासी बन्टीकड़ा रागोला तहसील दोबड़ा जिला डूंगरपुर
    4.6 गीता पत्नि तोलाराम उर्फ तुलसीराम कटारा निवासी बन्टीकड़ा रागोला तहसील दोबड़ा जिला डूंगरपुर
05. खनिज अभियन्ता बिजौलियां।

-प्रतिवादीगण

–:उपस्थित :–

01. श्री पैरोकार सरकार .....अधिवक्ता वादी
02. श्री ओमप्रकाश शर्मा .....अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
– :प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.:–

–: निर्णय :–

दिनांक : 19 / 08 / 2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । उक्त प्रकरण में प्रतिवादी 1.1 की ओर से दिनांक 05.08.2025 को आदेश 7 नियम 11 जा .दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

01.यह है कि वादपत्र में यह तथ्य अंकित नहीं किया गया है कि वादी को उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए विनाय दावा किसी दिनांक को उत्पन्न हुआ है वादपत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है कि वादी को प्रतिवादीगण के किसी कृत्य के कारण किसी दिनांक विशेष को बिनाय दावा उत्पन्न हुआ है चुकिं विनाय दावा एवं बिनाय दावा की दिनांक का वादपत्र में अंकन नहीं है इस लिए वादी का वादपत्र बिनाया दावा उत्पन्न नहीं होने के कारण काबिल खारिज है।

02. यह है कि जो खनिज लिज प्रदान की गयी है वह राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गजेट् नॉटिफिकेशन के तहत कृषि भूमि में क्वारी लाईसेंस दिये जाने की निती के अन्तर्गत क्वारी लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया है चुकी सभी प्रकार की भूमि की वैध स्वामी राज्य सरकार है राज्य सरकार किन्हीं वैध प्रवधानों के तहत कृषि भूमि में क्वारी लाइसेंस प्रदत्त करती है तो उसके विरूद्ध स्वयं राज्य सरकार को वाद लाने की कोई कानुनी अधिकारिता नहीं है वाद पत्र विधि विरूद्ध होने से पोषणीय नहीं है क्योंकी राज्य सरकार दोहरी निती की कार्यवाही नहीं कर सकती है।

03. यह है कि राज्य सरकार अपनी उद्घोषित निती के तहत कृषि भूमि में एक ओर तो क्वारी लाईसेंस जारी करती है तथा दूसरी ओर अपने द्वारा ही जारी क्वारी लाइसेंस की वैधता को चुनौती नहीं दे सकती है इस आधार पर राज्य सरकार को कोई बिनाय दावा उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता है।

04.यह है कि वादी का वादपत्र केन्द्रीय अधिनियम एम.एम.आर.जी. 1957 की धारा 15 के तहत बनी राजस्थान खनिज अप्रधान नियमावली 1986 के नियम 65 की शिथिलता के पश्चात् जो प्रतिवादीगण के क्यारी लाईसेंस में खातेदार की भूमि को सम्मलित कर दिया गया है वह विधिमुकुल होने से क्यारी लाईसेंस को निष्प्रभावी करने के लिए वाद लाने की अधिकारिता नहीं है अर्थात इस प्रकार वाद लाने की विधि में चादी को अनुमति नहीं है।

05.यह है कि कृषि भूमि में क्वारी लाइसेंस दिये जाने बाबत् ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि में कोई क्वारी लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। यदि क्वारी लाइसेंस जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता हुयी है तो उस क्यारी लाइसेंस को स्वयं राज्य सरकार अपने स्तर पर खारिज कर सकती है अथवा व्यवहार न्यायालय में क्वारी लाइसेंस को खारिज करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। इस न्यायालय को क्वारी लाइसेंस की वैधता विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं है। क्वारी लाइसेंस की वैद्यता के लिए राज्य सरकार में चुनौती देने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली में व्यवस्था दी गयी है उसी के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए राजस्व न्यायालय उक्त कार्यवाही के लिए सक्षम नहीं है इस आधार पर वादी का वाद पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज काबिल है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

06.यह है कि उक्त प्रकरण में वादी ने विपक्षी संख्या । मनोहर पुत्र रतना मीणा निवासी आंटी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्ति विपक्षी संख्या 2 व 3 के नाम खनन क्वारी लाइसेंस करने में सहमति प्रदान करने से धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन मानकर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही प्रारंभ की है।

07.यह है कि विपक्षी संख्या 3 भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति होकर खातेदार मनोहर की तरह अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। इस कारण धारा 42 (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है इससे वादपत्र के अभिवचनों एवं तथ्यों के आधार पर ही उक्त वादपत्र खारिज योग्य है।

08. यह है कि वादी तहसीलदार बिजौलियां के प्रकरण के अभिवचनों के आधार पर ही सहमति प्रदान की गयी है जो वर्णित है उक्त पुरे वादपत्र के अभिवचनों में हस्तांतरण विलेख का कही वर्णन नहीं है इस प्रकार हस्तांतरण के अभाव में धारा 42 (बी) के प्रावधान प्रभावित नहीं होकर विपक्षीगण के विरूद्ध वादहेतूक वादी को उत्पन्न नहीं होने से वादपत्र खारिज काबिल है।

09. यह है कि उक्त सहमति पत्र से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है खातेदारी अधिकार खातेदार के पास ही सुरक्षित है। आज भी एवं भविष्य में भी वादग्रस्त आराजी खातेदार मनोहर के वारिसों के नाम ही रहेगी। इस प्रकार खातेदारी का हस्तांतरण नहीं होने से धारा 42 (बी) की कार्यवाही हेतू वादी तहसीलदार को वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है इस कारण वाद हेतुक के अभाव में वाद पत्र खारिज काबिल है।

10 यह है कि वादी तहसीलदार बिजौलियां वर्तमान में खातेदारी भूमि के सहमति विलेखों का पंजीयन कर रहे है जिनके खातेदार अ. जाति/जनजाति के होकर सहमति स्वर्ण जाति के पक्ष में हो रहे है। इस प्रकार वादी तहसीलदार बिजौलियां सहमति विलेखों को हस्तांतरण नहीं मानकर पंजीयन कर रहा है ऐसी स्थिति में उक्त वादपत्र में दोहरी निति अपनाई नहीं जा सकती है एवं वादी तहसीलदार विबन्धन के सिद्धान्त से प्रतिबन्धित होकर विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का बिनायदावा उत्पन्न नहीं हुआ है इस आधार पर उक्त वादपत्र खारिज काबिल है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षी का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 नियम 11 सी.पी. सी. को स्वीकार फरमाकर वादी का वादपत्र सव्यय अस्वीकार फरमाया जावें।

प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के जवाब में तहसीलदार बिजौलियां का जवाब दिनांक 12.08.2025 को प्राप्त हुआ जिसके तथ्य निम्नानुसार हैः–

उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 01–01 मांगीलाल पुत्र मनोहर मीणा की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दिनांक 05.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से निम्नानुसार जवाब पेश हैः–

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

1. यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 गलत होकर अस्वीकार है। परिपत्र राजस्व ग्रुप–06/प.–6 (13) राज–6/9211 दिनांक 18.03.2000 की पालना में पटवारी द्वारा दिनांक 16.06.2000 को रिपोर्ट करने से बिनाय उत्पन्न हुई है।

2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 जिस तरह से लिखी गयी है, स्वीकार नहीं होकर आंशिक स्वीकार हैं। राज०टि०एक्ट की धारा 42 (बी) का स्पष्ट रूप से उल्लघंन हुआ है। अतः लेण्ड होल्डर के नाते वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है।

3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 जिस तरह से लिखी गयी है, गलत होकर अस्वीकार हैं। राज०टि०एक्ट की धारा 42 में कोई संशोधन नहीं हुआ है। जिससे अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्तियो की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियो के कब्जे को मान्यता प्राप्त नही हुई है। अतः लेण्ड होल्डर के नाते इस प्रकार के क्वारीलाईसेन्स को राज०टि०एक्ट के तहत चुनोती देने का अधिकार है।

4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 04 गलत होकर अस्वीकार हैं। एम.एम.आर.डी. 1957 की धारा 15 तहत बनी राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 1986 के नियम 65 के तहत वाद दायर नही किया गया है। जो वाद दायर किया गया है, वो राज०टि०एक्ट 1955 की धारा 175 के तहत लाया गया है।

5. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 गलत होकर अस्वीकार हैं। अतः अमान्य है। धारा 175 के तहत प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय में ही निहित है।

6. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 06 आंशिक स्वीकार हैं। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो की खातेदारी भूमि में विपक्षी संख्या 02 व 03 जो कि स्वर्ण जाति के व्यक्ति है उनके नाम खनिज लीज / क्वारीलाईसेन्स जारी करने से राज०टि०एक्ट 1955 की धारा 42 (बी) का स्पष्ट रूप से उल्लघंन करने से उक्त अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

7. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 07 अस्वीकार हैं। खनिज विभाग द्वारा लीज/क्वारीलाईसेन्स की सूची क्रमांक 49 पर अप्रार्थी विजयसिंह पिता सोहनसिंह जादू निवासी भीलवाडा, तुलसीराम पिता हवाराम कटारा निवासी ताम्बड़िया खुर्द, जोधपुर का नाम दर्ज है। जो कि अनुसूचित जनजाति समुदाय का नही है। विपक्षी संख्या 03 तुलसीराम कटारा का अनुसूचित जनजाति समुदाय का होने का जाति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।

08.प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 08 अस्वीकार हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 06 में यह अंकित है कि राज०टि०एक्ट 1955 की धारा 42(बी) के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति जो उस समुदाय का व्यक्ति ना हो हस्तान्तरित नहीं कर सकता है। प्रकरण में ग्राम आंटी की आराजी नं0 107, 116 रकबा 5.17 बीघा व 4.10 बीघा कुल क्षेत्रफल 10.07 बीघा भूमि पर खनन लीज / क्यारीलाईसेन्स स्वर्ण जाति के व्यक्ति को जारी किया गया है एवं मौके पर कब्जा स्वर्ण जाति के व्यक्ति का होने से लेण्ड होल्डर के नाते इस प्रकार के क्वारीलाईसेन्स को राज०टि०एक्ट के तहत चुनोती देने का अधिकार है।

लगातार पेज संख्या 05 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

9. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 09 अस्वीकार हैं। क्वारीलाईसेन्स / खनिज लीज में जुडी हुई आराजी में कब्जा स्वर्ण जाति का होने से राज०टि०एक्ट 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लघंन होने से घारा 175 के तहत प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय में ही निहित है।

10. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 अस्वीकार हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों की भूमि का सहमति विलेख पत्र स्वर्ण जाति के व्यक्तियो के पक्ष में हो रहा हैं जो कि दो पक्षो के बीच में हुऐ आपसी समझौते को उपपंजीयक द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है, न की तहसीलदार द्वारा सहमति विलेख पत्र का पंजीयन किया गया है। अनुसूचित जनजाति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा होने से धारा 42 (बी) का उल्लघंन होने से लेण्ड होल्डर के नाते इस प्रकार के प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार तहसीलदार को ही है।

चूंकि खातेदारी भूमि में क्वारीलाईसेन्स दिया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्यिो की जमीन पर कब्जा स्वर्ण जाति के व्यक्ति का है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारीज करना फरमावें।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 के जवाब को का अध्ययन करने एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन करने पर मेरिट व गुणावगुण के आधार पर न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार करने योग्य है, **अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. आज दिनांक 19.08.2025 को स्वीकार कर पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है।** आदेश खुले न्यायालय में दिनांक 19.08.2025 सुनाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अजीत सिंह राठौड़ (RAS)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
जिला– भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा